परिशिष्ट–5

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

निम्न दाब विद्युत प्रदाय का अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक .... माह ....सन् दो हजार .... को किया गया जिसमें एक ओर म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (अनुज्ञाप्तिधारी का नाम) जिसमें एतद् पश्चात "अनुज्ञप्तिधारी" कहा जावेगा, जो अभिव्यक्ति जब तक कि वह विषय अथवा संदर्भ से विपरीत न होने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे तथा दूसरी ओर .... (उपभोक्ता का नाम तथा विस्तृत पते का उल्लेख किया जावे। एक पंजीकृत भागीदार संस्था के प्रकरण में संस्था के प्रबंधक भागीदार अथवा भागीदार, जो अनुबंध का निष्पादन कर रहा हो, का नाम तथा उसके पते का उल्लेख किया जावे। एक कंपनी के प्रकरण में, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत निगमित की गई है, कंपनी का पंजीकृत पता तथा प्रबंध संचालक का नाम अथवा उस अधिकारी का नाम, जिसे कि अनुबंध के निष्पादन हेतु सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है, उल्लेखित किया जावे) (जिसे एतद् पश्चात ''उपभोक्ता'' कहा जावेगा जो विषय या संदर्भ विपरीत न होने की परिस्थिति में, उसके वारिस, निष्पादन-कर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे)।

जैसा कि उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के शहर/ग्राम .... जिला .... स्थित परिसर में (नक्शा संलग्न है) विद्युत ऊर्जा प्रदाय हेतु अनुरोध किया गया है तथा इस परिसर को संलग्न नक्शे में अधिक सुस्पष्ट रूप से दर्शायेनुसार चिन्हित कर रंग से अंकित किया गया है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे विद्युत प्रदाय हेतु एतद् द्वारा निम्न दर्शाये अनुसार निर्धारित निम्न निबंधन तथा शर्तों के अधीन सहमति दी है।

अभी उपस्थित इसके साक्षी हैं कि उपभोक्ता द्वारा एतद् पश्चात यथा-वर्णित किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में, एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों के संबंध में सहमति हुई है :

1. अनुबंध की अवधि.—यह अनुबंध विद्युत प्रदाय की दिनांक से या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को अनुबंध के अधीन विद्युत ऊर्जा के प्रदाय उपलब्ध होने संबंधी दी गई सूचना, के 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात् की दिनांक से इनमें जो भी पहले हो, से प्रारंभ होगा। यह अनुबंध, अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति तक लागू रहेगा तथा तत्पश्चात वर्ष-प्रति-वर्ष तब तक चालू माना जावेगा, जब तक कि इस अनुबंध की कण्डिका 4 के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त नहीं कर दिया जाता है।

2. विद्युत प्रदाय संहिता.—उपभोक्ता द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 तथा इसके संशोधनों की एक प्रति प्राप्त कर ली गई है तथा इसका अवलोकन कर इसकी विषय-वस्तु को समझ लिया गया है तथा इसमें विनिर्दिष्ट समस्त निबंधनों एवं शर्तों को, उस सीमा तक, जो उस पर लागू होती हैं, का अनुसरण तथा पालन करने का वचन देता है। कथित संहिता के निर्बन्धन, जैसे कि वे, समय-समय पर यथा संशोधित किये जावें तथा उस सीमा तक जहां तक कि वे लागू हों, इस अनुबंध का भाग माने जावेंगे। कोई ऐसा अन्य विनियम, जो विद्युत प्रदाय से संबंधित हो, इस अनुबंध का भाग माना जावेगा।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात् आयोग कहा जावेगा) द्वारा निर्धारित अन्य प्रयोज्य विनियमों के प्रावधानों तथा कोई संशोधन जैसे कि वे समय-समय पर प्रयोज्य हों, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय कर दिया गया है तथा उपभोक्ता द्वारा उसको समझ लिया गया है तथा ऐसे सभी निबंधनों एवं शर्तों के पालन की सहमति दे दी है।

3. विद्युत प्रदाय की मात्रा.—एतद् पश्चात् वर्णित प्रावधानों के अध्यधीन तथा अनुबंध के चालू रहने की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करेगा तथा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी से, अन्य किसी प्रकार से जैसा कि उसे विधि के अनुसार अनुज्ञेय किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी से संविदा मांग .... केवीए/............... किलोवॉट (केडब्लू)/........... अश्व शक्ति (हार्स पावर)............. से तथा .... से .... केवीए/........................ किलोवाट (के.डब्लू).............. अश्वशक्ति तक तथा इससे अधिक न हो, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा।

4. विद्युत प्रदाय का प्रकार.—उपरोक्त विद्युत प्रदाय, 50 हर्ट्ज आल्टरनेटिंग करंट प्रणाली से सामान्यतः .... वोल्टेज के दबाव तथा .... फेज पर होगी। प्रदाय के बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) एवं दबाव (प्रेशर) उन उतार-चढ़ावों के अध्यधीन होंगे जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं पारेषण के आनुषंगिक हैं। लेकिन ऐसे उतार-चढ़ाव, अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे कारणों को छोड़कर, भारतीय विद्युत नियम, 1956 में अथवा अन्य कोई प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों में उपबंधित सीमाओं से अधिक न होंगे।

5. प्रतिभूति निक्षेप.—उपभोक्ता आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगा। उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी विनियमों के अन्तर्गत, जैसे तथा जब भी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग की जाती है, भुगतान करने का वचन देता है। प्रतिभूति निक्षेप की शेष अतिरिक्त राशि जमा न किये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता को शेष अतिरिक्त राशि को जमा किये जाने के परिपालन हेतु पूरे 15 दिवसों की सूचना देकर, विद्युत प्रदाय विच्छेद करने का अधिकार होगा।

6. मीटरिंग.—उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध के अधीन प्राप्त की गई विद्युत ऊर्जा के पंजीकरण के उद्देश्य से, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयुक्त मीटर (मापयंत्र) तथा मीटरिंग (मापयंत्रों) उपकरण प्रदाय तथा संधारित किये जावेंगे।

7. उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार.—उपभोक्ता को इस अनुबंध के अधीन मांग की गई ऊर्जा एवं प्रदाय की गई विद्युत शक्ति के लिये सेवा की .... श्रेणी पर लागू टैरिफ अनुसार प्रभार अन्य निबंधनों तथा शर्तों सहित एवं समय-समय पर लागू की गई विविध प्रभारों की अनुसूची के अनुसार भी उसे अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान करना होगा। अनुबंध के प्रारंभ हो जाने के पश्चात्, समय-समय पर आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट विकल्प के अतिरिक्त, प्रारंभिक अनुबंध की 2 वर्ष की समयावधि में केवल एक बार को छोड़कर वैकल्पिक टैरिफ के चयन के विकल्प की अनुमति नहीं दी जावेगी।

बशर्ते यह कि उपभोक्ता को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004, टैरिफ, विविध प्रभारों की अनुसूची तथा अन्य प्रभार, जैसा कि वे आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये जावें, के अतिरिक्त विद्युत शुल्क, उपकर के अतिरिक्त, अन्य किसी विधि के अधीन निर्धारित किये गये अन्य कोई लेव्ही, कर अथवा शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

8. विच्छेदन.—उपभोक्ता द्वारा इस अनुबंध की शर्तों या किसी भी शर्त के पालन न करने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी प्रयोज्य नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत, उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने बाबत स्वतंत्र होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को इस प्रकार हुई किसी हानि तथा क्षति के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने हेतु बंधनकारी न होगा, तथापि इससे अनुज्ञप्तिधारी के बकाया राशि या ऐसी विच्छेदन अवधि के दौरान लागू मांग/न्यूनतम प्रभारों की वसूली के अधिकार प्रभावित न होंगे।

9. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता में से किसी के द्वारा अनुबंध का समापन.—घरेलू एवं एकल फेज के गैर-घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के उपभोक्ता अनुबंध को 15 दिवस की सूचना पश्चात् समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात् एक माह की सूचना देकर अनुबंध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी भी इसी प्रकार की सूचना देकर, लिखित कारण दर्शाते हुए, अनुबंध का समापन कर सकता है। बशर्ते यह कि यदि बकाया राशि के भुगतान न होने के कारण या मध्यप्रदेश

विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अधीन जारी निर्देशों के गैर-अनुपालन के कारण, 60 दिवस की अवधि के लिये विच्छेदित रहती है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई कारण बताओ सूचना के बाद भी, उपभोक्ता द्वारा विच्छेदन के कारणों को दूर करने हेतु और सूचना की विनिर्दिष्ट अवधि में विद्युत प्रदाय बहाल करने हेतु उपभोक्ता द्वारा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जाता है, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से किया गया अनुबंध सूचना में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के समापन उपरान्त, स्वयमेव समाप्त हो गया, समझा जावेगा। 'कारण बताओ सूचना' की अवधि सात दिवस होगी।

घरेलू तथा एकल फेज गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के अनुबंध की प्रारंभिक अवधि से पूर्व अनुबंध को समाप्त किया जाना हो, तो उपभोक्ता को अनुबंध की शेष अवधि हेतु टैरिफ अनुसार प्रभारों का भुगतान करना बंधनकारी होगा।

10. विशेष शर्तें : (प्रपत्र के अन्त में टीप देखें)

11. पत्र व्यवहार :

(क) उपभोक्ता को सम्बोधित किये गये किसी पत्र, आदेश या अभिलेख की तामीली, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 तथा धारा 171 में निर्धारित की गई रीति अनुसार इस अनुबंध में प्रस्तावना में दर्शाये गये पते पर डाक द्वारा या उसे सुपुर्द कर की जावेगी।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी को समस्त पत्र व्यवहार .... को अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अथवा नामांकित किये गये कार्यालय को, संबोधित किये जावेंगे।

12. अनुबंध शुल्क.—उपभोक्ता अनुबंध शुल्क की लागत तथा इस अनुबंध के पूर्ण निष्पादन से संबंधित समस्त आनुषंगिक व्ययों को वहन करने की सहमति देता है।

13. विवाद.—यह अनुबंध अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय पंजीकृत कार्यालय में किया गया माना जावेगा तथा इस अनुबंध से संबंधित समस्त विवाद तथा दावे, यदि कोई हों, तो इनका निराकरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे स्थानीय कार्यालयों जो कि उपभोक्ता की शिकायत निवारण प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित हैं, में निराकृत किया जावेगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी के प्रचालन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी सक्षम न्यायालय में इनका परीक्षण किया जावेगा।

उभय पक्षकारों द्वारा निम्न साक्षियों के समक्ष दिनांक .... माह ....

सन् दो हजार .... को हस्ताक्षर किये गये तथा मुद्रांकित की गई।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पता	**अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पता**

उपभोक्ता द्वारा किये गये निष्पादन के साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते	**अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये निष्पादन के साक्षीगणों के हस्ताक्षर एवं पते**
1.	1.
2.	2.

कामन सील निम्न साक्षियों के समक्ष मुद्रांकित की गई (केवल लिमिटेड कंपनियों के प्रकरणों में)

1.

कॉमन सील

2.

टीप :

1. आवेदन के साथ उपभोक्ता द्वारा संलग्न किया गया नक्शा जो कि वितरण कंपनी द्वारा सत्यापित किया गया हो और जिस पर विद्युत प्रदाय बिन्दु चिन्हित किया गया हो, इस अनुबंध का भाग माना जावेगा व उभय पक्षों द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया जावेगा।
2. कण्डिका क्रमांक - 10 में ऐसी अन्य या विशेष शर्तें जिन पर वितरण कम्पनी तथा उपभोक्ताओं के बीच सहमति हो और जो विद्यमान विनियमों के अनुरूप हों।
3. इस निम्न दाब विद्युत प्रदाय के अनुबंध पत्र के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास या भ्रांति होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा।